न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी (राज.)

पीठासीन अधिकारी — अक्षय गोदारा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या	प्रविष्टि दिनांक	निर्णय दिनांक
मैनुअल नं.147/प्रा.पत्र/2024	02.12.2024	24.06.2025
(GCMS No. 2024/236)		

राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार, तालेडा (जिला बून्दी)

– प्रार्थी

बनाम

1.पांचू पुत्र भौंरा उर्फ भंवरलाल जाति भील निवासी डाबी तह. तालेडा
2.बरधी पुत्री भौंरा उर्फ भंवरलाल जाति भील निवासी डाबी तह. तालेडा
3.मांगीबाई पुत्री भौंरा उर्फ भंवरलाल जाति भील निवासी डाबी
(मृतक जर्ये कायम मुकाम) – शांतिलाल पुत्र मांगीबाई भील नि.डाबी

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित–
प्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार।
अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

निर्णय

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र आवंटी भंवरलाल को किये गये भूमि आवंटन खसरा सं. 1441/330 रकबा 0.5261 हैक्टेयर वाकेग्राम डाबी आवंटन आदेश दिनांक 22.11.1975 को निरस्त किये जाने हेतु राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रविष्टि पंजिका क्रमांक 147/2024 पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर GCMS No.2024/236 ऑनलाईन इन्द्राज किया गया। अप्रार्थी सं.1 व 2 के नोटिस 2 गवाहों की उपस्थिति में मकान पर चस्पानगी से तामील होकर प्राप्त हो चुके है किन्तु वे नियत पेशी पर उपस्थित न्यायालय नहीं आये। अप्रार्थी सं.3 का नोटिस उसकी मृत्यु हो जाने की रिपोर्ट सहित अदम तामील प्राप्त होने पर उसके वारिसान की सूचना तलब की गई।

जिला कलक्टर, बून्दी

तहसीलदार तालेडा से प्राप्त रिपोर्ट कमांक 931 दिनांक 20.03.25 के अनुसार मृतक मांगीबाई के वारिसान में एक पुत्र शांतिलाल है। अप्रार्थी शांतिलाल को जारी नोटिस 2 गवाहों की उपस्थिति में उसके मकान पर चस्पानगी से तामील होकर प्राप्त हुआ, किन्तु नियत पेशी पर उपस्थित न्यायालय नहीं आने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

तत्पश्चात बहस पेरोकार सरकार सुनी गयी।

पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुये तर्क प्रस्तुत किये कि मुताबिक रिपोर्ट हल्का पटवारी आवंटी या वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर आवंटी के पक्ष में किया गया उक्त आवंटन निरस्त किया जाकर भूमि सिवायचक दर्ज रेकार्ड किये जाने का अनुरोध किया गया।

न्यायालय ने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया गया। जिससे प्रकट है कि भंवरलाल आ. कालू जाति मीना निवासी डाबी को दिनांक 22.11.1975 को भूमि खसरा सं. 330, 400 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा वाकेग्राम डाबी का आवंटन किया गया था। आवंटी द्वारा आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उक्त आवंटन निरस्त किये जाने हेतु तहसीलदार द्वारा प्रकरण अन्तर्गत भूमि आवंटन नियम 14(4) प्रस्तुत किया है। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम डाबी की नकल जमाबंदी संवत 2076 के अनुसार भूमि खसरा सं.1441/330 रकबा 0.5261 हैक्टेयर पर अप्रार्थीगण गैर खातेदार दर्ज रेकार्ड है। पत्रावली पर उपलब्ध हल्का पटवारी एवं आईएलआर की मौका रिपोर्ट दिनांक 16.11.24 के अनुसार मौके पर गैरखातेदारान का कब्जा काश्त नहीं है तथा उक्त भूमि अन्य व्यक्तियों के कब्जे में है जिस पर पत्थर स्टॉक संचालित है। नकल खसरा गिरदावरी खरीफ (सियालू) वर्ष 2024 संवत् 2081 के अनुसार उक्त भूमि पर फसल नहीं बोई जाकर ''पड़त'' पडी हुई है।

तहसीलदार तालेडा की रिपोर्ट में गैर खातेदारान का भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होकर अन्य व्यक्तियों का कब्जा होना एवं मौके पर पत्थर स्टॉक संचालित होना अंकित है। इससे प्रतीत होता है कि गैर खातेदारान उक्त आवंटन को बहाल रखे जाने का इच्छुक नहीं है। कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(3) के अधीन यह शर्त है कि आवंटी को आवंटन के पश्चात आवंटित भूमि पर प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत भाग पर तथा शेष भाग पर द्वितीय वर्ष काश्त करना आवश्यक है। जबकि नकल खसरा गिरदावरी के अनुसार भूमि मौके पर पडत होना प्रकट है। इस प्रकार प्रकरण में गैर खातेदारान का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने से आवंटन की शर्तो का उल्लंधन होना प्रमाणित है।

जिला कलक्टर, बून्दी

उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवंटी तथा उसके वारिसान का आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने, मौके पर भूमि में पत्थर स्टाक संचालित होने एवं आवंटन शर्तो की पालना नहीं किये जाने से उक्त भूमि के आवंटन को अस्तित्व में रखे जाने का कोई औचित्य नहीं है। फलस्वरूप प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के पिता भंवरलाल आ. कालू जाति मीना निवासी डाबी को किया गया भूमि आवंटन हाल खसरा सं. 1441/330 रकबा 0.5261 हैक्टेयर वाकेग्राम डाबी दिनांक 22.11.1975 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार तालेडा को आदेश दिये जाते है कि उक्त भूमि को कब्जा राज लेकर राजस्व रेकार्ड में **सिवायचक** दर्ज करे। यदि वादग्रस्त भूमि पर बिना विधिक अधिकार के किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा पाया जावे, तो उसके विरूद्ध अतिक्रमी की हैसियत से अविलम्ब बेदखली की कार्यवाही की जावे। निर्णय पत्रावली में सम्मिलित होकर अभिलेखागार में जमा करवाई जावे।

आदेश आज दिनांक 24.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अक्षय गोदारा)
जिला कलक्टर, बून्दी
जिला कलक्टर बून्दी